राजस्थान सरकार
निदेशालय, कोष एवं लेखा, राजस्थान, जयपुर
"वित्त भवन" जनपथ, जयपुर

(दूरभाष नं.:–0141–2740837, फैक्स 0141–2742309, ई मेलः–jacct.dta@rajasthan.gov.in)

क्रमांक : एफ.4(ई)(के–218/83)/अलेसे–III/5445-5454 दिनांक :–10/03/25

कार्यालय आदेश

राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर के आदेश क्रमांक प–11(128)विजा/राम/2006 दिनांक 08.06.2007 के द्वारा श्री केसरी चन्द सेठिया तत्कालीन कनिष्ठ लेखाकार कार्यालय तहसील फतेहगढ़ के विरूद्ध एक विभागीय जांच का प्रकरण जैरकार होने के कारण निलम्बित किया गया एवं राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर के आदेश क्रमांक प–11(128)विजा /राम/2006 दिनांक 15.03.2008 के द्वारा श्री सेठिया के विरूद्ध विचाराधीन विभागीय जांच को अप्रभावित रखते हुए निलम्बन से बहाल किया गया।

विभागीय आदेश संख्या 174/2010–11 दिनांक 02.07.2010 के द्वारा श्री केसरी चन्द सेठिया, तत्कालीन कनिष्ठ लेखाकार कार्यालय तहसील फतेहगढ़ जिला जैसलमेर तत्समय कार्यालय परियोजना निदेशक कृषि एवं भूः सर्वेक्षण बीकानेर के विरूद्ध भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो में अपराध संख्या 120/2005 अन्तर्गत धारा 13(1)(डी) (2) पी.सी. एक्ट 1988 व 409, 467, 468, 471, 120बी भा.द.स. में पंजीबद्ध होने एवं प्रकरण में अभियोजन स्वीकृति जारी किये जाने के फलस्वरूप तत्काल प्रभाव से निलम्बित किया जाकर श्री सेठिया का मुख्यालय कोषाधिकारी, बीकानेर में किया गया। विभागीय आदेश संख्या 330/2010–11 दिनांक 13.10.2010 के द्वारा श्री सेठिया ने माननीय उच्च न्यायालय से स्थगन प्राप्त किये जाने के कारण विभागीय आदेश क्रमांक 13148–13157 दिनांक 13.10.2010 के द्वारा निलम्बन आदेश को अग्रिम आदेशों तक तत्काल प्रभाव से स्थगित कर दिया गया एवं श्री सेठिया का पदस्थापन कार्यालय परियोजना निदेशक, कृषि एवं भू–सर्वेक्षण, बीकानेर में कनिष्ठ लेखाकार के रिक्त पद पर तुरन्त प्रभाव से किया गया।

कार्यालय महानिदेशक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, राजस्थान, जयपुर के पत्रांक 1725–27 दिनांक 15.06.2023 के अनुसार अपराध संख्या 120/2005 विरूद्ध श्री केसरी चन्द सेठिया, कनिष्ठ लेखाकार, तहसील कार्यालय फतेहगढ, जिला जैसलमेर में माननीय विशिष्ट न्यायाधीश, (भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम), सं.–2, जोधपुर के पारित निर्णय दिनांक 29.11.2022 द्वारा आरोपी श्री केसरीचन्द सेठिया, तत्कालीन कनिष्ठ लेखाकार, तहसील कार्यालय फतेहगढ़, जिला जैसलमेर को संदेह का लाभ देकर दोषमुक्त किया गया था। उक्त निर्णय के संबंध में राज्य सरकार/विधि विभाग, राजस्थान जयपुर द्वारा सक्षम स्तर से उक्त निर्णय के विरूद्ध अपील पेश नहीं किये जाने का निर्णय लिया गया।

राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर से प्राप्त पत्रांक 1446–49 दिनांक 07.06.2024 के अनुसार अपराध संख्या 120/2005 विरूद्ध श्री केसरी चन्द सेठिया, कनिष्ठ लेखाकार (हाल सेवानिवृत्त), तहसील कार्यालय फतेहगढ, जिला जैसलमेर को माननीय विशिष्ट न्यायाधीश, (भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम), सं.–2, जोधपुर के पारित निर्णय दिनांक 29.11.2022 के द्वारा दोषमुक्त किये जाने के दृष्टिगत मण्डल स्तर पर विचाराधीन उक्त प्रकरण को समाप्त किया गया है।

श्री विजय सिंह नाहटा, आर.ए.एस. तत्कालीन तहसीलदार, फतेहगढ़ के विरूद्ध राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1958 के नियम–16 के अन्तर्गत समसंख्यक ज्ञापन दिनांक 21.11.2014 अन्तर्गत अनुशासनिक कार्यवाही प्रारम्भ कर आरोप पत्र/आरोप विवरण पत्र जारी किये गये एवं श्री प्रताप सिंह राव, तत्कालीन तहसीलदार, फतेहगढ़, श्री केसरी चन्द सेठिया, तत्कालीन कनिष्ठ लेखाकार एवं श्री नखताराम, कनिष्ठ लिपिक, तहसील फतेहगढ के विरूद्ध राजस्व मण्डल, अजमेर के ज्ञापन क्रमांक 11(128)विजा/राम/2006 दिनांक 26.07.2007 के द्वारा राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1958 के नियम–16/18 के अन्तर्गत अनुशासनात्मक कार्यवाही को विभागीय आदेश दिनांक 21.11.2014 एडोप्ट कर प्रारम्भ की गई। प्रकरण में श्री केसरी चन्द सेठिया, तत्कालीन कनिष्ठ लेखाकार (हाल सेवानिवृत्त), के संदर्भ में निम्नानुसार निर्णय कार्मिक (क–3/जांच) विभाग से प्राप्त आदेश क्रमांक प. 1(77)कार्मिक/क–3/जांच/2011 दिनांक 13.02.2025 के द्वारा लिया गया है, " माननीय राज्यपाल प्रस्तुत

प्रकरण में उपर्युक्त विवेचन एवम् अभिलेखीय दस्तावेजों के आधार पर श्री केसरी चन्द सेठिया, (हाल सेवानिवृत्त) तत्कालीन कनिष्ठ लेखाकार पर अधिरोपित आरोप प्रमाणित नहीं होने के फलस्वरूप श्री केसरी चन्द सेठिया के विरूद्ध अनुशासनिक कार्यवाही के इस प्रकरण को इसी स्तर पर समाप्त किये जाने के एतद्द्वारा आदेश प्रदान करते हैं। '' इस प्रकार श्री सेठिया के विरूद्ध जारी संयुक्त जांच को समाप्त किया जा चुका है।

श्री केसरी चन्द सेठिया, सेवानिवृत्त कनिष्ठ लेखाकार के विरूद्ध वर्तमान में कोई विभागीय जाँच लम्बित/प्रस्तावित नहीं हैं।

अतः राजस्थान सेवा नियम खण्ड–I के नियम 54 के अन्तर्गत श्री सेठिया की निलम्बन अवधि के भुगतान किये गए निर्वाह भत्ते की राशि को समायोजित करते हुए अन्य सभी वेतन एवं भत्ते देय होगे तथा निलम्बन अवधि को देय समस्त पेंशन योग्य परिलाभों की गणना योग्य माना जावेगा।

(भूपेश माथुर)
निदेशक एवं पदेन
संयुक्त शासन सचिव

क्रमांक : एफ.4(ई)(के–218/83)/अलेसे–III/5445-5454
दिनांक :– 10/03/25

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. संयुक्त शासन सचिव, वित्त (राजस्व) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
2. शासन उप सचिव, कार्मिक (क–3/जांच) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
3. उप निबन्धक, (जांच), राजस्व मण्डल, अजमेर, राजस्थान।
4. उपनिदेशक (जांच)/उपविधि परामर्शी, कार्यालय हाजा।
5. श्री केसरी चन्द सेठिया, सेवानिवृत्त कनिष्ठ लेखाकार।
6. निजी सचिव, निदेशक महोदय।
7. उपनिदेशक (एसीपी) कार्यालय हाजा को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
8. गोपनीय शाखा/पदस्थापन सीट।
9. निजी पत्रावली/रक्षित पत्रावली।
10. संस्थापन अनुभाग।

(सीमा कौशल)
संयुक्त निदेशक (कार्मिक–II/III)

F:\JRA,AAO-II old dealing data\letter.docx128